

एवी-29011/4/2019-डीटी
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नागर विमानन से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दिनांक 24.10.2019 को प्रातः 10:30 बजे आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई चर्चा का अभिलेख।

अधोहस्ताक्षरी को यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में नागर विमानन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में हुई चर्चा का अभिलेख, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, संलग्न रूप में अग्रेषित किया जाए।

(यू.के. भारद्वाज)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24610359

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार (1)

प्रेषित:

1. राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव एवं प्रशासक, संलग्न सूची के अनुसार।
2. महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय।
3. महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो।
4. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया।
6. कार्यपालक निदेशक (ओ.एम. एवं तकनीकी), पवन हंस लिमिटेड।

प्रतिलिपि:

- (i) माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नागर विमानन के निजी सचिव।
- (ii) सचिव (नागर विमानन) के वरिष्ठ निजी सचिव।
- (iii) आर्थिक सलाहका के निजी सचिव।
- (iv) संयुक्त सचिव (यू) के निजी सचिव।

- (v) संयुक्त सचिव (आरए) के निजी सचिव।
- (vi) संयुक्त सचिव (ए) के निजी सचिव।
- (vii) संयुक्त सचिव (एडी) के निजी सचिव।
- (viii) निदेशक (जीएस) के निजी सचिव।
- (ix) यू.एस. (यूके) के डीएफओ।
- (x) आरसीएस सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय।

राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं प्रशासकों की सूची

1. मुख्य सचिव, गोवा सरकार।
2. मुख्य सचिव, गुजरात सरकार।
3. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
4. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
5. मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख प्रशासन।
6. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार।
7. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार।
8. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार।

दिनांक 24.10.2019 को प्रातः 10:30 बजे माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री (माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री) द्वारा उत्तरी एवं पश्चिमी राज्य सरकारों के साथ नागर विमानन से संबंधित मुद्दों पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई चर्चा का अभिलेख

दिनांक 24.10.2019 को प्रातः 10:30 बजे माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री (माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री) द्वारा उत्तरी एवं पश्चिमी राज्य सरकारों के साथ नागर विमानन से संबंधित मुद्दों पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) आयोजित की गई।

बैठक में उपस्थित नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन मंत्रालय), बीसीएस (बीसीएस), डीजीसीए (डीजीसीए), राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) तथा एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट-1** में दी गई है।

प्रारम्भ में, माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा कहा कि यह वीडियो कॉन्फ्रेंस विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नागर विमानन से संबंधित मुद्दों, सुझावों, सूचनाओं एवं चुनौतियों को जानने के लिए आयोजित की गई है, ताकि देश के विभिन्न भागों में हवाई संपर्क को और सुदृढ़ किया जा सके।

राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई चर्चा तथा लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैं:

राज्य सरकारों के साथ चर्चा हेतु नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन मंत्रालय) के सामान्य बिंदु:

1. जीएसटी/वैट:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सभी उत्तरी एवं पश्चिमी राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/निदेशकों (नागर विमानन) को सूचित किया कि केवल छह राज्य सरकारों – **गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तराखंड** – ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर आरसीएस – उड़ान उड़ानों हेतु एटीएफ (एटीएफ) पर वैट को 1% तक कम किया है।

हालाँकि, अन्य तीन राज्य अर्थात् **गोवा (18%), हरियाणा (20%) एवं जम्मू-कश्मीर (26%)** ने आरसीएस – उड़ान उड़ानों हेतु एटीएफ पर वैट को 1% तक कम नहीं किया है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने इन तीन राज्य सरकारों को यथाशीघ्र, अधिमानतः एक सप्ताह के भीतर, राजपत्र अधिसूचना जारी कर एटीएफ पर वैट को 1% तक कम करने की सलाह दी।

2.

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सभी उत्तरी एवं पश्चिमी राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/निदेशकों (नागरिक उड्डयन) को यह भी अवगत कराया कि यद्यपि कुछ राज्य सरकारों ने आरसीएस - उड़ान उड़ानों हेतु एटीएफ पर वैट को 1% तक कम किया है, फिर भी ये राज्य अपनी राज्य राजधानियों/प्रमुख शहरों से संचालित वाणिज्यिक उड़ानों हेतु एटीएफ पर 18% से 30% तक वैट वसूल रहे हैं।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को आवश्यक राजपत्र अधिसूचनाएँ जारी कर एटीएफ पर वैट/बिक्री कर को तत्काल प्रभाव से 1% से 4% के बीच कम करने की सलाह दी, ताकि घरेलू एयरलाइंस अपने वाणिज्यिक परिचालन को बनाए रख सकें।

3.

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सभी उत्तरी एवं पश्चिमी राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/निदेशकों (नागर विमानन) को यह भी स्मरण कराया कि नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन मंत्रालय) जीएसटी परिषद से एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने का अनुरोध कर रहा है।

इस संबंध में राज्य सरकारों को प्रस्ताव का समर्थन करने हेतु अर्द्ध-सरकारी पत्र (D.O. Letters) भेजे गए हैं। राज्य सरकारों से पुनः अनुरोध किया गया कि वे अपना समर्थन प्रदान करें ताकि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जा सके और घरेलू एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।

उपरोक्त सामान्य बिंदुओं पर चर्चा के पश्चात, सचिव (नागर विमानन) ने माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री से अनुरोध किया कि वे उत्तरी एवं पश्चिमी राज्यों के साथ एक-एक कर चर्चा आगे बढ़ाएँ।

गोवा सरकार

1. एटीएफ पर वैट में कमी:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने गोवा सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि गोवा सरकार ने वाणिज्यिक परिचालन हेतु एटीएफ पर वैट को 1% तक कम नहीं किया है तथा वर्तमान में यह 18% की दर से वसूला जा रहा है, जो अत्यधिक है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सलाह दी कि गोवा सरकार वाणिज्यिक परिचालन हेतु एटीएफ पर वैट को 4% से कम करे, ताकि एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति टिकाऊ बनी रहे।

चूँकि मोपा में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है, इससे गोवा हवाईअड्डे पर अतिरिक्त उड़ानों के संचालन में भी सहायता मिलेगी, जिससे राज्य सरकार को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

एनएच-66 से मोपा हवाई अड्डे को जोड़ने वाले प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का संरेखण

गोवा सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने एनएच-66 से मोपा हवाई अड्डे को जोड़ने वाले प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के संरेखण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की स्वीकृति के लिए नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है।

निर्णय: सचिव (नागर विमानन) ने गोवा सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि इस विषय को संबंधित प्राधिकरणों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

निर्णय: माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने गोवा सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि नागर विमानन मंत्रालय इस विषय को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ उठाएगा तथा शीघ्र समाधान हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत करेगा।

गुजरात सरकार

1. एटीएफ पर वैट में कमी:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने गुजरात सरकार के प्रतिनिधि, कैप्टन अजय चौहान, निदेशक (नागर विमानन) को सूचित किया कि गुजरात सरकार ने वाणिज्यिक परिचालन हेतु एटीएफ पर वैट को 1% तक कम नहीं किया है तथा यह अभी भी अत्यधिक दर पर लगाया जा रहा है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सलाह दी कि गुजरात सरकार वाणिज्यिक परिचालन हेतु एटीएफ पर वैट को 4% से कम करे ताकि एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति टिकाऊ बनी रहे। इससे गुजरात के विभिन्न हवाई अड्डों पर अतिरिक्त उड़ानों के संचालन में भी सहायता मिलेगी, जिससे राज्य सरकार को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट:

यह मामला गुजरात सरकार के वित्त विभाग के अधीन है। राज्य का नागर विमानन विभाग इस विषय को पुनः उठाएगा तथा शीघ्र नागर विमानन मंत्रालय को अद्यतन जानकारी देगा।

मिथापुर हवाईअड्डे से परिचालन

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने गुजरात सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि गुजरात सरकार ने मिथापुर हवाई अड्डे से उड़ान परिचालन के संबंध में **टाटा केमिकल्स** के साथ आवश्यक व्यवस्थाएँ नहीं की हैं।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सलाह दी कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट:

मिथापुर हवाईअड्डे हेतु एमओयू समझौता मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया में है। अद्यतन जानकारी नागर विमानन मंत्रालय को प्रेषित की जाएगी।

वाटर एयरोड्रोम का विकास

गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि गुजरात के विभिन्न स्थानों पर वाटर एयरोड्रोम के विकास का कार्य अब तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है।

निर्णय: सदस्य (योजना), एएआई ने सूचित किया कि वाटर एयरोड्रोम के सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने हेतु यह कार्य पहले ही **अंतर्देशीय वाटर मार्ग प्राधिकरण, भारत (आईडब्ल्यूएआई)** को प्रदान किया जा चुका है।

राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट:

केवड़िया में वाटर एयरोड्रोम के विकास हेतु भूमि उपलब्ध है। विकास प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है।

देओसा हवाईअड्डे का राज्य सरकार को हस्तांतरण

निर्णय: सदस्य (योजना), एएआई ने सूचित किया कि इस विषय की जाँच एएआई द्वारा की जाएगी तथा गुजरात सरकार को उत्तर भेजा जाएगा।

राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट:

एएआई से अनुरोध किया गया कि प्रक्रिया में शीघ्रता लाई जाए।

गुजसेल कॉम्प्लेक्स एवं गुजरात सरकार हैंगर हेतु समझौते का अंतिम रूप देना

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी।

राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट:

जीटीओ शुल्कों के अनुसार तथा गुजरात सरकार के पुराने हैंगर हेतु **रु. 1/- प्रति वर्गमीटर** की दर से गुजसेल हैंगर के समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाई जाए।

गुजसेल हैंगर हेतु अतिरिक्त भूमि

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी।

राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट:

गुजसेल हैंगर के समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाई जाए।

राजकोट-मुंबई-राजकोट एवं राजकोट-दिल्ली-राजकोट के लिए नई उड़ान प्रारम्भ करना

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी।

राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट:

जनहित में राजकोट-मुंबई-राजकोट एवं राजकोट-दिल्ली-राजकोट के लिए नई उड़ान प्रारम्भ की जाए अथवा वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

एयर ऑपरेटर परमिट (AOP) जारी करना

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी।

राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट:

डीजीसीए से अनुरोध किया गया कि गुजरात सरकार को एओपी जारी करने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाई जाए।

आरसीएस शुल्कों का युक्तिकरण

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी।

आरसीएस परिचालन के अंतर्गत केशोद हवाईअड्डे का परिचालन प्रारम्भ करना

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी।

राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट:

केशोद हवाईअड्डे के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाई जाए।

गुजसेल कॉम्प्लेक्स हेतु सीआईएसएफ कार्मिकों की तैनाती

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी।

राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट:

गुजसेल हैंगर में 24 कर्मियों के स्थान पर सीआईएसएफ कर्मियों की संख्या घटाकर 3-5 कर्मियों की जाए तथा तदनुसार बीसीएस सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हेतु स्वीकृति प्रदान करे।

वाटर एयरोड्रोम का संचालन एवं अनुरक्षण

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी।

हरियाणा सरकार

1. एटीएफ पर वैट में कमी

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव को सूचित किया कि यद्यपि हरियाणा सरकार ने आरसीएस उड़ानों हेतु वैट को 1% तक कम कर दिया है, तथापि वाणिज्यिक परिचालन हेतु एटीएफ पर 21% की दर से वैट लगाया जा रहा है, जो अत्यधिक है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सलाह दी कि हरियाणा सरकार वाणिज्यिक परिचालन हेतु एटीएफ पर वैट को 4% से कम करे, ताकि एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति टिकाऊ बनी रहे।

पिंजौर हवाई अड्डे को हेलीकॉप्टरों के लिए बेस स्टेशन बनाना

हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि पिंजौर हवाई अड्डे को हेलीकॉप्टरों के लिए बेस स्टेशन बनाया जा सकता है, जिससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के लिए हवाई सेवाएँ संचालित की जा सकें।

निर्णय:

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश हेतु हेलीकॉप्टर सेवाएँ पहले से ही चंडीगढ़ से उपलब्ध कराई जा रही हैं। अतः उक्त प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है।

अम्बाला हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन का निर्माण

हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि अम्बाला हवाई अड्डे (वायुसेना बेस) पर टर्मिनल भवन के निर्माण को अभी तक एएआई द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा आरसीएस-उड़ान-3.0 के अंतर्गत उड़ानों की स्थिति हरियाणा सरकार को भूमि अधिग्रहण हेतु अद्यतन की जानी चाहिए।

निर्णय:

सदस्य (योजना), एएआई ने सूचित किया कि अम्बाला हवाई अड्डे के संयुक्त उपयोग हेतु अध्ययन पहले ही किया जा चुका है तथा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने सुझाव दिया है कि अम्बाला वायुसेना बेस के निकट स्थित **किंगफिशर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स** का उपयोग टर्मिनल भवन निर्माण हेतु किया जा सकता है।

किन्तु एएआई के अवलोकनानुसार वहाँ केवल **2.1 एकड़ भूमि** उपलब्ध है, जो टर्मिनल भवन हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः हरियाणा सरकार को किंगफिशर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के समीप अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित कर एएआई को सूचित करना चाहिए, ताकि कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके।

निर्णय:

सचिव (नागर विमानन) ने हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि को पर्याप्त भूमि अधिग्रहण कर एएआई को सूचित करने का निर्देश दिया।

4. हिसार से आरसीएस - उड़ान उड़ानों का संचालन

हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हिसार से चंडीगढ़ एवं वापसी के लिए आरसीएस - उड़ान उड़ानों का संचालन प्रारम्भ हो चुका है, परंतु इस संबंध में डीजीसीए, नई दिल्ली से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि ने यह भी अनुरोध किया कि हिसार-चंडीगढ़ उड़ानों के संचालन हेतु पिछली तिथि से वीजीएफ उपलब्ध कराया जाए।

निर्णय:

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि हिसार से चंडीगढ़ तक आरसीएस - उड़ान उड़ानों का संचालन मेसर्स स्पाइसजेट द्वारा एनएसओवी परिचालन के अंतर्गत छोटे विमान (MTOM 5700 किलोग्राम से कम) के माध्यम से किया जा रहा है।

डीजीसीए नियमों के अनुसार, मेसर्स स्पाइसजेट एक अनुसूचित ऑपरेटर है तथा उसके पास 5700 किलोग्राम से कम एमटीओएम वाले छोटे विमानों हेतु डीजीसीए द्वारा अनुमोदित एनएसओपी परमिट नहीं है। अतः नियामक होने के कारण डीजीसीए पर ऐसे परिचालन की अनुमति हेतु नागर विमानन मंत्रालय दबाव नहीं डाल सकता।

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने यह भी बताया कि उक्त उड़ानें हरियाणा सरकार की अपनी आरसीएस - उड़ान योजना के अंतर्गत पृथक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। अतः वीजीएफ नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।

निर्णय:

सचिव (नागर विमानन) ने स्पष्ट किया कि नागर विमानन मंत्रालय विमान परिचालन की

सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। यदि हरियाणा सरकार सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान कर लेती है, तो नागर विमानन मंत्रालय इस विषय पर समाधान निकालेगा।

5. हिसार हवाईअड्डे पर एटीसीओ की उपलब्धता न होना

हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हिसार हवाई अड्डे पर हिसार-चंडीगढ़ उड़ानों के संचालन हेतु एएआई के एयर टैफिक कंट्रोलर (एटीसीओ) उपलब्ध नहीं हैं, जिससे विमान परिचालन की सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय विमान परिचालन की सुरक्षा के मामले में कोई जोखिम नहीं उठा सकता तथा एएआई को निर्देश दिया कि हिसार हवाई अड्डे पर यथाशीघ्र एटीसीओ की तैनाती की जाए।

हिमाचल प्रदेश सरकार

1. एनाडेल (शिमला), मनाली, मंडी, नाथपा-झाकड़ी एवं रामपुर स्थित हेलीपोर्टों का उन्नयन

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को सलाह दी कि राज्य सरकार एनाडेल (शिमला), मनाली, मंडी, नाथपा-झाकड़ी एवं रामपुर स्थित हेलीपोर्टों के उन्नयन का कार्य प्रारम्भ करे ताकि हेलीकॉप्टर परिचालन प्रारम्भ किया जा सके।

निर्णय:

नागर विमानन मंत्रालय ने सहमति दी कि उपर्युक्त छह हेलीपोर्ट/हेलीपैडों के निर्माण एवं परिचालन का सम्पूर्ण व्यय आरसीएस - उड़ान के अंतर्गत प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के सुझावानुसार, नागर विमानन मंत्रालय ने नाथपा-झाकड़ी हेलीपोर्ट को सूची से हटाने पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि नाथपा-झाकड़ी एवं रामपुर हेलीपोर्ट के बीच की दूरी बहुत कम है। राज्य सरकार इसके स्थान पर नए स्थल का नाम अनुशंसित करेगी।

शिमला हवाईअड्डे का विस्तार

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि **शिमला हवाई अड्डे** का रनवे छोटा है तथा यह केवल 48 सीटों वाले विमान के लिए लोड पेनल्टी के साथ उपयुक्त है। इसके परिणामस्वरूप आरसीएस सीटों की संख्या कम हो जाती है और हवाई किराया अधिक हो जाता है।

मैसर्स राइट्स द्वारा तैयार डीपीआर के अनुसार रनवे विस्तार की लागत **रु. 425.59 करोड़** है, जिसमें अतिरिक्त भूमि की लागत शामिल नहीं है, जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने इस हेतु **रु. 500 करोड़** की विशेष सहायता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को अर्द्ध-सरकारी पत्र (D.O. Letter) लिखा है।

मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश ने माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री से राज्य सरकार के इस मामले का समर्थन करने का अनुरोध किया।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सचिव (नागर विमानन) एवं अध्यक्ष, एएआई को निर्देश दिया कि शिमला हवाई अड्डे के रनवे विस्तार का विस्तृत प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय की स्वीकृति हेतु तैयार किया जाए। साथ ही, शिमला हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि पर विचार करने की सहमति दी गई, जिसके लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश को सूचित किया कि **दिल्ली-शिमला-दिल्ली** के बीच **एलायंस एयर** की उड़ानें राज्य की राजधानी की संपर्क सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे भी जारी रहेंगी।

कुल्लू हवाईअड्डे का विस्तार

मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया कि कुल्लू स्थित **भुंतर हवाईअड्डा** बहुत छोटा है तथा छोटे विमानों के लिए लोड पेनल्टी के साथ उपयुक्त है। परिणामस्वरूप हवाई किराया अधिक है, जिससे पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट के अनुसार, **ब्यास नदी** को मोड़कर रनवे विस्तार की लागत **रु. 81.34 करोड़** होगी तथा इसमें **3-4 वर्ष** का समय लगेगा।

मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि रनवे विस्तार हेतु **27.77 हेक्टेयर भूमि** राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जानी है, ताकि एएआई कार्य आगे बढ़ा सके।

राज्य सरकार ने इस परियोजना हेतु **रु. 500 करोड़** की विशेष सहायता के लिए नागर विमानन मंत्रालय से विषय उठाने का अनुरोध किया है।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश को सलाह दी कि राज्य सरकार कुल्लू हवाईअड्डे के विस्तार हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहित करे, ताकि एएआई रनवे विस्तार का कार्य प्रारम्भ कर सके।

साथ ही यह भी सहमति बनी कि राज्य सरकार के प्रस्तावानुसार कुल्लू हवाईअड्डे पर रनवे के 4% **टिल्टिंग** हेतु यथाशीघ्र सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा विस्तार की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। यदि यह संभव पाया जाता है, तो विस्तार किया जाएगा।

कांगड़ा हवाईअड्डे का विस्तार

मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश ने अवगत कराया कि धर्मशाला **गगल हवाईअड्डे** के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जहाँ रनवे की लंबाई सीमित है और छोटे विमानों के संचालन में लोड पेनल्टी लगती है।

एएआई रनवे विस्तार की योजना बना रहा है, जिसके लिए **183 एकड़ भूमि** राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जानी है।

भूमि अधिग्रहण हेतु **रु. 348.50 करोड़** की अनुदान राशि के लिए दिनांक **16.10.2018** को 15वें वित्त आयोग के सचिव को अर्धशासकीय पत्र पत्र भेजा गया था।

नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वह इस मामले का समर्थन करे तथा हवाई अड्डे के विकास हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ विषय उठाए।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सचिव (नागर विमानन) एवं अध्यक्ष, एएआई को कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे विस्तार का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश को यह भी सूचित किया कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह विषय पहले ही उठाया है, ताकि आवश्यक अनुदान जारी किया जा सके और हवाईअड्डे का विकास हो सके।

5. मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण

मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया कि एएआई द्वारा स्थल का ओएलएस **सर्वेक्षण** किया जा चुका है तथा रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक **18.12.2018** को माननीय प्रधानमंत्री को अर्धशासकीय पत्र भेजकर मंडी हवाईअड्डे को रक्षा हवाईअड्डे के रूप में विकसित करने तथा विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था।

नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वह भारत सरकार के साथ इस विषय का अनुसरण करे।

निर्णय:

राज्य सरकार ने मंडी हवाई अड्डे के निर्माण तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम (जेवीए) के गठन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

6. आरसीएस उड़ान-II - चयनित हेलीपोर्ट

मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया कि हेलीपोर्टों के विकास एवं उपकरणों की खरीद हेतु **रु. 28 करोड़** की मांग की गई है।

राज्य सरकार ने मेसर्स एलाइंस एअर से उनके पुराने **एटीआर-42** विमानों को नए **ATR-42** से बदलने, उड़ान सीटों की संख्या बढ़ाने, अन्य सीटों के किराए की सीमा तय करने तथा सुरक्षा कवर, अग्निशमन सेवाएँ एवं वीजीएफ की लागत साझेदारी से छूट देने का अनुरोध भी किया है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री से राज्य सरकार के इस मामले का समर्थन करने का अनुरोध किया गया।

यह विषय समयाभाव के कारण चर्चा में नहीं आ सका।

7. वित्तीय सहायता

मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया कि विकास कार्यों हेतु राज्य सरकार काफी हद तक केंद्र सरकार के धन पर निर्भर है।

राज्य के संसाधन सीमित हैं क्योंकि अतिरिक्त कर लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

अतः वीजीएफ की संपूर्ण लागत अर्थात् **100%** आरएसीएफटी द्वारा वहन की जानी चाहिए अथवा आरसीएस दिशानिर्देशों के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों की तरह **90:10** के अनुपात में प्रदान की जानी चाहिए।

नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि हिमाचल प्रदेश को यह लाभ प्रदान करने पर विचार किया जाए।

यह विषय समयाभाव के कारण चर्चा में नहीं आ सका।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार

1. एटीएफ पर वैट में कमी

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि **श्री एस. कटोच, आयुक्त, नागर विमानन** को सूचित किया कि यद्यपि जम्मू-कश्मीर सरकार ने आरसीएस उड़ानों हेतु एटीएफ पर वैट को 1% तक कम किया है, किन्तु श्रीनगर, जम्मू आदि से संचालित वाणिज्यिक उड़ानों हेतु एटीएफ पर 29% वैट लगाया जा रहा है, जो अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने राज्य सरकार को सलाह दी कि वाणिज्यिक परिचालन हेतु एटीएफ पर वैट को 4% से कम किया जाए, ताकि एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति टिकाऊ बनी रहे।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने **केरल सरकार** का उदाहरण दिया, जिसने अपने राज्य के सभी हवाई अड्डों से संचालित वाणिज्यिक उड़ानों हेतु एटीएफ पर वैट को 1% तक कम कर दिया है।

2. थोइस हवाई अड्डे पर भूमि उपलब्धता

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि को यह भी अवगत कराया कि **थोइस हवाई अड्डे** पर टर्मिनल भवन, कार पार्किंग आदि के लिए सिविल एन्क्लेव निर्माण हेतु भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे आरसीएस उड़ानों का संचालन प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इस संबंध में राज्य सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

3. आरसीएस मार्ग

जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि ने नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया कि श्रीनगर एवं जम्मू से कारगिल के लिए पूर्व में आवंटित आरसीएस उड़ानों का संचालन शीघ्र प्रारम्भ कराया जाए, क्योंकि अब तक उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं।

निर्णय:

नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (यूपी) ने अवगत कराया कि मेसर्स मेहरएयर, **एसएओ**, जिसे उक्त मार्ग आवंटित किया गया था, ने अब तक अपने विमान अधिग्रहित नहीं किए हैं तथा ऑपरेटर अब तक डीजीसीए से अनुसूचित यात्री प्रचालक (**एससीओ**) **परमिट** प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। अतः इस विषय की समीक्षा आरसीएस अनुमोदन समिति की बैठक में की जाएगी तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

4. थोइस हवाईअड्डा

जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि ने नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया कि आरसीएस के अंतर्गत थोइस हवाई अड्डे का विकास किया जाए, जिसमें टर्मिनल भवन का निर्माण तथा थोइस से चंडीगढ़ एवं दिल्ली के लिए मार्गों की प्राथमिकता के आधार पर बोली प्रक्रिया शामिल हो।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सूचित किया कि जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई थी, जम्मू-कश्मीर सरकार ने थोइस में सिविल एन्वलेव निर्माण हेतु अभी तक एएआई को भूमि उपलब्ध नहीं कराई है। अतः इस संबंध में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

कारगिल हवाईअड्डा

श्री एस. कटोच, आयुक्त, नागर विमानन तथा जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि कारगिल के वीएफआर (विजुवल फ्लाइट रूल) हवाईअड्डे के लिए बड़े विमानों के विकास एवं संचालन से संबंधित किसी प्रतिष्ठित संस्था के सलाहकार (Consultant) को एएआई द्वारा नियुक्त किया जाए।

निर्णय:

सचिव, नागर विमानन ने एएआई को निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुरोधानुसार यथाशीघ्र सलाहकार नियुक्त किया जाए, ताकि कम से कम एयरबस A-320 प्रकार के विमान कारगिल में उतर सकें।

साथ ही, सचिव (नागर विमानन) ने जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि को इस संबंध में अध्यक्ष, एएआई को शीघ्र पत्र लिखने की सलाह दी।

जम्मू हवाई अड्डे पर भूमि उपलब्धता

सचिव, नागर विमानन ने जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि को सलाह दी कि जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन तथा मौजूदा रनवे के विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

सचिव (नागर विमानन) ने यह भी अवगत कराया कि जम्मू में 120 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसे यथाशीघ्र अधिग्रहित किया जाना चाहिए।

निर्णय:

जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

श्रीनगर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि श्रीनगर को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित किए जाने के बाद पूर्व में **एअर इंडिया एक्सप्रेस** द्वारा श्रीनगर से दुबई के लिए उड़ान प्रारम्भ की गई थी, किन्तु यह वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य न होने के कारण बंद कर दी गई। वर्तमान में श्रीनगर से कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित नहीं हो रही है।

निर्णय:

सचिव, नागर विमानन ने सूचित किया कि नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइनों की बैठक बुलाई है तथा श्रीनगर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विषय पर विचार किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार

1. एटीएफ पर वैट में कमी

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार की प्रतिनिधि **श्रीमती वल्सा नायर सिंह, प्रधान सचिव, नागर विमानन** को सूचित किया कि एटीएफ पर वैट की दर अत्यधिक है और इसे मुंबई, पुणे तथा महाराष्ट्र के अन्य व्यस्त हवाई अड्डों से संचालित वाणिज्यिक उड़ानों हेतु 1% तक कम किया जाना चाहिए।

निर्णय:

श्रीमती वल्सा नायर सिंह ने अवगत कराया कि यह विषय राज्य सरकार के मुख्य सचिव के साथ पहले ही उठाया जा चुका है और मंत्रिमंडल की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के पश्चात यह प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाएगी।

सोलापुर हवाई अड्डे पर चिमनी हटाना

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि **सोलापुर हवाई अड्डे** पर अवरोध (चिमनी) अब तक नहीं हटाई गई है।

निर्णय:

श्रीमती वल्सा नायर सिंह ने सूचित किया कि सोलापुर स्थित उक्त अवरोध (चिमनी) को शीघ्र हटाया जाएगा तथा इसकी सूचना नागर विमानन मंत्रालय को भेजी जाएगी।

अमरावती, सिंधुदुर्ग एवं रत्नागिरी हवाई अड्डों का उन्नयन

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि को यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार ने अमरावती, सिंधुदुर्ग एवं रत्नागिरी हवाई अड्डों को आरसीएस उड़ानों के संचालन हेतु उन्नत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की है।

अमरावती हवाई अड्डा

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि अमरावती से उड़ानों का संचालन एएआई की आरसीएस सेल द्वारा उड़ान-3.0 के अंतर्गत आवंटित किया गया है तथा एटीआर-72 विमान संचालन हेतु विकास कार्य **महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी)** द्वारा प्रगति पर है, जो अगस्त 2020 तक पूर्ण होने की संभावना है।

तब तक अमरावती से उड़ान संचालन प्रारम्भ करना संभव नहीं है। एमएडीसी ने हवाईअड्डे के पुनरुद्धार हेतु एएआई से धनराशि की मांग की है और परियोजना की समयबद्ध पूर्णता हेतु इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया है।

निर्णय:

एएआई के सदस्य (योजना) ने सूचित किया कि इस विषय की जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा एमएडीसी द्वारा इंडिया रोड बिल्डर्स (IRB) को लीज पर दिया गया है तथा एयरपोर्ट ऑपरेटर ने सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा कर लिया है।

हवाई अड्डे का विकास उन्नत चरण में है तथा पीडीसी दिनांक 31.12.2019 निर्धारित है। सुरक्षा उपकरणों एवं अन्य अवसंरचना की स्थापना प्रगति पर है। बिजली, पानी, सड़क चौड़ीकरण एवं नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसे उपयोगिता कार्य भी प्रगति पर हैं।

गृह मंत्रालय की सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा एयरोड्रम लाइसेंस हेतु आवेदन प्रक्रिया जारी है। मुंबई के लिए मार्ग आरसीएस-3.1 बोली दौर में आवंटित किए जा चुके हैं।

डीजीसीए से सिंधुदुर्ग हवाईअड्डे के लाइसेंस हेतु शीघ्र अनुमति का अनुरोध किया गया।

निर्णय:

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया कि महाराष्ट्र सरकार से एयरोड्रम लाइसेंस हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के बाद डीजीसीए को आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जाएगा।

रत्नागिरी हवाईअड्डा

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि **रत्नागिरी हवाई अड्डा** भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) के अधीन है तथा आवश्यक अवसंरचना के विकास का कार्य प्रगति पर है।

महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल से टर्मिनल भवन आदि सहित सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने टर्मिनल भवन निर्माण हेतु भूमि की पहचान भी कर ली है।

आवश्यक विवरण उचित समय पर नागर विमानन मंत्रालय को भेजे जाएंगे।

अकोला हवाईअड्डा

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि **अकोला (शिवानी) हवाईअड्डे** की रनवे लंबाई **1400 मीटर** है तथा 20 यात्रियों की क्षमता वाला एक छोटा टर्मिनल भवन उपलब्ध है।

यहाँ पीएपीआई एवं एनडीबी कोड 3C के अंतर्गत स्थापित हैं और हवाई अड्डा एएआई के परिचालन नियंत्रण में है।

महाराष्ट्र सरकार ने एएआई से अनुरोध किया है कि इस हवाईअड्डे को संचालन एवं अनुरक्षण (Operation and Maintenance) हेतु एमएडीसी को हस्तांतरित किया जाए। इस संबंध में एएआई का निर्णय प्रतीक्षित है।

निर्णय:

एएआई के सदस्य (योजना) ने सूचित किया कि अकोला हवाई अड्डा एएआई के स्वामित्व एवं संचालन में है तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ एएआई द्वारा की जा चुकी हैं। अतः इस चरण में अकोला हवाई अड्डे को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु एमएडीसी को हस्तांतरित करना संभव नहीं है।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने निर्देश दिया कि एएआई के सदस्य (प्रचालन) द्वारा दिए गए वक्तव्य को अभिलेख में दर्ज किया जाए तथा बैठक की कार्यवाही नागर विमानन मंत्रालय /एएआई की वेबसाइट पर अपलोड की जाए, ताकि यह निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र में सभी संबंधित पक्षों की जानकारी हेतु उपलब्ध रहे।

मुंबई में नया हवाईअड्डा

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि मुंबई में नए हवाई अड्डे से संबंधित कार्यों की समीक्षा महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जा रही है तथा इसका लक्ष्य वर्ष

2021 के अंत तक पूरा करना है, जिसके बाद नए मुंबई हवाईअड्डे से उड़ान संचालन प्रारम्भ हो जाना चाहिए।

9. नागपुर हवाई अड्डे हेतु एएआई के साथ लीज़ समझौता

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि **मिहान इंडिया लिमिटेड**, जो एएआई एवं एमएडीसी का एक संयुक्त उपक्रम (JV) है, नागपुर हवाईअड्डे के संचालन की देखरेख कर रहा है।

एएआई के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के संबंध में दोनों पक्षों के बीच एक व्यापक लीज़ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

दोनों पक्षों द्वारा अंतिम रूप दिए गए इस लीज़ समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया को पीपीपी प्रस्ताव की स्थिति से स्वतंत्र रूप से शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

निर्णय:

एएआई के सदस्य (योजना) ने सूचित किया कि व्यापक लीज़ समझौता एवं पीपीपी प्रस्ताव – दोनों विषयों की परिसंपत्तियों के स्वामित्व को ध्यान में रखते हुए एक साथ समीक्षा की जानी चाहिए, अलग-अलग नहीं।

निर्णय:

सचिव, नागर विमानन ने सूचित किया कि एएआई द्वारा की गई टिप्पणियों को अभिलेख में लिया जाए तथा महाराष्ट्र सरकार उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई करे।

10. महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों हेतु एलटीसी के लिए उड़ान योजना

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने नागर विमानन मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन का अनुरोध किया ताकि उड़ान योजना के अंतर्गत संचालित उड़ानों का उपयोग महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी प्रयोजन हेतु कर सकें।

निर्णय:

सचिव, नागर विमानन ने सूचित किया कि एलटीसी प्रयोजन हेतु आवश्यक अधिसूचना जारी करना महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

11. महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को उड़ान योजना के अंतर्गत उड़ान की अनुमति

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को उड़ान योजना के अंतर्गत उड़ानों में यात्रा करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय से आवश्यक अनुमति प्रदान की जाए।

निर्णय:

सचिव, नागर विमानन ने सूचित किया कि अनेक राज्य सरकारें पहले ही अपने कर्मचारियों को उड़ान योजना की उड़ानों से यात्रा की अनुमति दे चुकी हैं। अतः इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी करना महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

पंजाब सरकार

1. एटीएफ पर वैट में कमी

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधि श्री तेजवीर सिंह, सचिव, नागर विमानन को सूचित किया कि यद्यपि पंजाब सरकार ने आरसीएस उड़ानों हेतु एटीएफ पर वैट को 1% तक कम कर दिया है, किन्तु अमृतसर, चंडीगढ़ आदि प्रमुख हवाई अड्डों से संचालित वाणिज्यिक उड़ानों के लिए एटीएफ पर 20% वैट लगाया जा रहा है, जो अधिक है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सलाह दी कि पंजाब सरकार वाणिज्यिक परिचालन हेतु एटीएफ पर वैट को **4% से कम** करे, ताकि एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति टिकाऊ बनी रहे।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने **केरल सरकार** का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने अपने राज्य के सभी हवाई अड्डों से संचालित वाणिज्यिक उड़ानों हेतु एटीएफ पर वैट को 1% तक कम किया है।

2. लुधियाना हवाई अड्डे पर अवरोध हटाना

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि पंजाब सरकार ने **लुधियाना हवाई अड्डे** पर मौजूद अवरोधों को अभी तक नहीं हटाया है तथा इन्हें अगले **30 दिनों** के भीतर हटाया जाना चाहिए।

3. आसियान देशों हेतु ओपन स्काई नीति के अंतर्गत चंडीगढ़ की अधिसूचना

पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि **चंडीगढ़ हवाई अड्डे** को ASEAN देशों के लिए **ओपन स्काई नीति** के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

यह विषय पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक **26.02.2019** के अ.शा पत्र के माध्यम से माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री के समक्ष उठाया गया था।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा कुल **18 शहरों** को अधिसूचित किया गया है, जिनमें अमृतसर भी शामिल है, जिससे स्कोट एयर एवं एसर एशिया जैसी एयरलाइनों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की अनुमति मिलती है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को उत्तर में सूचित किया गया था कि वर्तमान समय में यह संभव नहीं है।

पंजाब सरकार ने अनुरोध किया कि चंडीगढ़ को भी ASEAN देशों हेतु ओपन स्काई नीति के अंतर्गत अधिसूचित शहरों की सूची में शामिल किया जाए।

यह विषय चंडीगढ़ हवाईअड्डे से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) में भी विचाराधीन है।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि वर्तमान समय में यह संभव नहीं है तथा इस संबंध में उत्तर पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री को भेजा जा चुका है।

थोइस हवाई अड्डे पर भूमि:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि को अवगत कराया कि थोइस हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन, कार पार्किंग आदि हेतु सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। राज्य सरकार से इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

3. आरसीएस मार्ग:

जम्मू एवं कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि ने नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया कि श्रीनगर एवं जम्मू से कारगिल के लिए आरसीएस उड़ानों का संचालन शीघ्र प्रारंभ कराया जाए, जिनका आवंटन पहले ही किया जा चुका है, परंतु अभी तक उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं।

निर्णय:

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने अवगत कराया कि मेसर्स मेएयर, एसएओ, जिसे उक्त मार्ग आवंटित किया गया था, उसने अब तक अपने विमान अधिग्रहित नहीं किए हैं और डीजीसीए से अनुसूचित यात्री प्रचालक (एससीओ) परमिट प्राप्त करने में भी असमर्थ है। अतः इस विषय की समीक्षा आरसीएस अनुमोदन समिति की बैठक में की जाएगी।

4. थोइस हवाईअड्डा:

जम्मू एवं कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि थोइस हवाई अड्डे को आरसीएस के अंतर्गत विकसित किया जाए, जिसमें टर्मिनल भवन निर्माण तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली के लिए मार्गों की बोली प्रक्रिया प्राथमिकता पर कराई जाए।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने बताया कि जैसा पहले चर्चा की गई थी, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने अभी तक एएआई को सिविल एन्क्लेव निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं कराई है। अतः इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।

कारगिल हवाई अड्डा:

श्री एस. कटोच, आयुक्त, नागरिक उड्डयन, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने अनुरोध किया कि कारगिल में वीएफआर (विजुवल फ्लाइट रूल) हवाईअड्डे के विकास और बड़े विमानों के संचालन हेतु किसी प्रतिष्ठित संगठन के परामर्शदाता की नियुक्ति की जाए।

निर्णय:

सचिव, नागर विमानन ने एएआई को निर्देश दिया कि वह शीघ्रातिशीघ्र परामर्शदाता नियुक्त करे, ताकि कम-से-कम एयरबस ए-320 प्रकार के विमान कारगिल में उतर सकें। सचिव, नागर विमानन ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि को भी इस संबंध में शीघ्र एएआई अध्यक्ष को पत्र भेजने की सलाह दी।

जम्मू हवाई अड्डे पर भूमि उपलब्धता:

सचिव, नागर विमानन ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि को नए टर्मिनल भवन और रनवे विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू में 120 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसे शीघ्र अधिग्रहित किया जाना चाहिए।

निर्णय:

जम्मू एवं कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर राज्य सरकार शीघ्र कार्रवाई करेगी।

श्रीनगर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें:

जम्मू एवं कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि पहले एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा श्रीनगर से दुबई के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ की गई थी, परंतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य न होने के कारण उसे बंद कर दिया गया। वर्तमान में श्रीनगर से कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित नहीं हो रही है।

निर्णय:

सचिव, नागर विमानन ने बताया कि नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइनों की बैठक बुलाई है और श्रीनगर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विषय पर विचार किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार:

1. एटीएफ पर वेट में कमी:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने श्रीमती वल्सा नायर सिंह, प्रधान सचिव, नागर विमानन, महाराष्ट्र सरकार को अवगत कराया कि एटीएफ पर वेट बहुत अधिक है और इसे मुंबई, पुणे तथा अन्य प्रमुख हवाई अड्डों से वाणिज्यिक संचालन हेतु 1% तक कम किया जाना चाहिए।

निर्णय:

श्रीमती वल्सा नायर सिंह ने बताया कि यह विषय राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष पहले ही

उठाया जा चुका है और मंत्रिमंडल की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

2. सोलापुर में चिमनी हटाना:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि को बताया कि सोलापुर हवाईअड्डे पर अवरोध (चिमनी) अभी तक नहीं हटाया गया है।

निर्णय:

महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासन दिया कि उक्त चिमनी शीघ्र हटाई जाएगी और इसकी सूचना नागर विमानन मंत्रालय को भेजी जाएगी।

3. अमरावती, सिंधुदुर्ग एवं रत्नागिरी हवाई अड्डों का उन्नयन:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक इन हवाई अड्डों को आरसीएस उड़ानों हेतु उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की है।

अमरावती हवाईअड्डा:

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि उड़ान-3.0 के अंतर्गत अमरावती से उड़ानों का आवंटन हो चुका है और एटीआर-72 विमान संचालन हेतु विकास कार्य प्रगति पर है, जो अगस्त 2020 तक पूरा होने की संभावना है।

निर्णय:

एएआई ने बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।

सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा:

प्रतिनिधि ने बताया कि सिंधुदुर्ग हवाईअड्डा एमएडीसी द्वारा इंडिया रोड बिल्डर्स (IRB) को पट्टे पर दिया गया है और परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। सुरक्षा उपकरण एवं अन्य बुनियादी ढांचे का विकास जारी है।

निर्णय:

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि डीजीसीए द्वारा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर एयरोड्रम लाइसेंस एयरोड्रम लाइसेंस हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

रत्नागिरी हवाई अड्डा:

यह हवाई अड्डा भारतीय तटरक्षक बल के अधीन है और आवश्यक अवसंरचना का विकास प्रगति पर है। महाराष्ट्र सरकार ने सिविल एन्क्लेव निर्माण हेतु अनुमति मांगी है।

अकोला हवाई अड्डा:

महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि अकोला (शिवनी) हवाई अड्डे का रनवे 1400 मीटर लंबा है और इसे संचालन एवं रखरखाव हेतु एमएडीसी को सौंपने का अनुरोध किया गया है।

निर्णय:

एएआई ने स्पष्ट किया कि अकोला हवाई अड्डा एएआई के स्वामित्व एवं संचालन में है, अतः वर्तमान में इसे एमएडीसी को सौंपना संभव नहीं है।

मुंबई में नया हवाई अड्डा:

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि नए मुंबई हवाई अड्डे का कार्य राज्य के मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा के अधीन है और लक्ष्य वर्ष 2021 के अंत तक उड़ान संचालन शुरू करना है।

9. नागपुर हवाई अड्डे के लिए एएआई के साथ लीज़ समझौता:

महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि मिहान इंडिया लिमिटेड (एएआई एवं एमएडीसी का संयुक्त उपक्रम) नागपुर

हवाई अड्डे के संचालन की देखरेख कर रहा है।

निर्णय:

एएआई ने कहा कि व्यापक लीज़ समझौते और पीपीपी प्रस्ताव दोनों का संयुक्त रूप से परीक्षण किया जाएगा।

10. महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी में उड़ान का उपयोग:

महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया कि राज्य कर्मचारी एलटीसी उद्देश्यों हेतु उड़ान उड़ानों का उपयोग कर सकें।

निर्णय:

सचिव, नागर विमानन ने कहा कि यह राज्य सरकार का विषय है और आवश्यक अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार स्वयं जारी कर सकती है।

11. महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को UDAN योजना के अंतर्गत उड़ान की अनुमति:

महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया कि राज्य कर्मचारियों को UDAN उड़ानों से यात्रा की अनुमति दी जाए।

पंजाब सरकार

1. एटीएफ पर वैट में कमी:

नागर विमानन राज्य मंत्री (माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री) ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधि श्री तेजवीर सिंह, सचिव, नागर विमानन को अवगत कराया कि यद्यपि पंजाब सरकार ने आरसीएस उड़ानों के लिए एटीएफ पर वैट 1% कर दिया है, किन्तु अमृतसर

एवं चंडीगढ़ जैसे प्रमुख हवाई अड्डों से वाणिज्यिक उड़ानों के लिए एटीएफ पर अभी भी 20% वैट लगाया जा रहा है, जो अधिक है। माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सलाह दी कि पंजाब सरकार वाणिज्यिक उड़ानों के लिए एटीएफ पर वैट को 4% से कम करे, ताकि एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति स्थिर बनी रहे।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने केरल सरकार का उदाहरण दिया, जिसने राज्य के सभी हवाई अड्डों से वाणिज्यिक उड़ानों के लिए एटीएफ पर वैट 1% कर दिया है।

2. लुधियाना हवाईअड्डे पर बाधाओं को हटाना:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि राज्य सरकार ने अभी तक लुधियाना हवाई अड्डे पर मौजूद बाधाओं को नहीं हटाया है और इन्हें अगले 30 दिनों के भीतर हटाया जाना चाहिए।

3. आसियान देशों के लिए ओपन स्काई नीति के अंतर्गत चंडीगढ़ की अधिसूचना:

पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे को आसियान देशों के लिए ओपन स्काई नीति के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। यह विषय पहले पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 26.02.2019 के डी.ओ. पत्र के माध्यम से माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री के समक्ष उठाया गया था।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अमृतसर सहित कुल 18 शहरों को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, जिससे स्कोट एयर एवं एअर एशिया जैसी एयरलाइनों को अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन की अनुमति मिली है। पंजाब सरकार ने अनुरोध किया कि चंडीगढ़ को भी ओपन स्काई नीति के अंतर्गत शामिल किया जाए। यह विषय चंडीगढ़ हवाईअड्डे से संबंधित लंबित जनहित याचिका (पीआईएल) में भी विचाराधीन है।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सूचित किया कि वर्तमान में चंडीगढ़ को ओपन स्काई नीति में शामिल करना संभव नहीं है और इस संबंध में मुख्यमंत्री पंजाब को उत्तर भेजा जा चुका है।

4. दुबई, शारजाह, कतर आदि हब राज्यों के लिए ट्रेफिक अधिकारों में वृद्धि:

पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि कुछ विदेशी एयरलाइनों, जो अन्य हवाई अड्डों से खाड़ी देशों के लिए लघु दूरी की उड़ानें संचालित कर रही हैं, उन्हें आंतरिक समायोजन के माध्यम से एक उड़ान चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए, ताकि दुबई, शारजाह और कतर जैसे गंतव्यों के लिए ट्रेफिक अधिकार बढ़ाए जा सकें।

निर्णय:

सचिव, नागर विमानन ने सूचित किया कि यह विषय नागर विमानन मंत्रालय के विचाराधीन है।

5. चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केट III-B आईएलएस की स्थापना:

पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केट III-B आईएलएस की स्थापना एक लंबित जनहित याचिका का हिस्सा है तथा सीएचआईएल एवं एएआई द्वारा इस संबंध में सिद्धांततः निर्णय लिया जा चुका है।

एएआई द्वारा किए गए सिमुलेशन अध्ययन के अनुसार मौजूदा बाधाओं को हटाने की कार्रवाई एएआई और भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा संयुक्त रूप से की जानी है। केट III-B आईएलएस की स्थापना शीतकाल के दौरान सुरक्षित लैंडिंग और लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए आवश्यक है।

निर्णय:

सदस्य (योजना), एएआई ने सूचित किया कि यह विषय एएआई के विचाराधीन है।

6. चंडीगढ़ में कार्गो सुविधाओं का विकास:

पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि चंडीगढ़ और अमृतसर में कार्गो सुविधाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है, ताकि उपलब्ध विशाल संभावनाओं का लाभ उठाया जा सके।

सीएचआईएल और एएआई सीएलएएस के बीच चंडीगढ़ में एकीकृत कार्गो एवं नाशवंत कार्गो केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता हो चुका है, और कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना आवश्यक है।

निर्णय:

सदस्य (योजना), एएआई ने बताया कि चंडीगढ़ में एकीकृत कार्गो एवं नाशवंत कार्गो केंद्र हेतु आवश्यक अवसंरचना का कार्य प्रगति पर है और दिसंबर 2020 तक पूरा होने की संभावना है।

7. अमृतसर में कार्गो सुविधाओं का विकास:

पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि पंजाब राज्य कृषि निर्यात निगम द्वारा अमृतसर में एक कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया था, किन्तु वित्तीय देनदारियों और बकाया के कारण यह कई वर्षों से बंद पड़ा है।

पंजाब राज्य कृषि निर्यात निगम और एएआई सीएलएएस के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, और कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

निर्णय:

सदस्य (योजना), एएआई ने सूचित किया कि सुरक्षा कारणों से यात्री टर्मिनल के माध्यम से कार्गो संचालन की अनुमति नहीं है। अतः अमृतसर में एक पृथक कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण आवश्यक है।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने बताया कि इस विषय पर एएआई और नागर विमानन मंत्रालय के साथ चर्चा कर उपयुक्त समाधान निकाला जाएगा।

8. हवाई अड्डों का शहरों के नाम पर नामकरण:

पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि रक्षा हवाई अड्डों के सिविल एन्क्लेव का नाम आधार स्थान (जैसे आदमपुर) के बजाय शहर/जिले (जैसे जालंधर) के नाम पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि आदमपुर नाम उड़ान बुकिंग के लिए अधिक परिचित नहीं है।

आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर जालंधर हवाई अड्डा करने का अनुरोध पहले ही नागर विमानन मंत्रालय को भेजा जा चुका है।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने बताया कि विधायी प्रक्रिया के अनुसार हवाई अड्डे के नाम परिवर्तन हेतु पहले राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। इसके बाद पंजाब सरकार को उक्त प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय को भेजना होगा।

9. श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर अमृतसर से विशेष उड़ानें:

पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर अमृतसर से उन गंतव्यों के लिए विशेष उड़ानें संचालित की जाएं जहाँ बड़ी संख्या में पंजाबी प्रवासी निवास करते हैं।

इस संबंध में पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री को डी.ओ. पत्र भी भेजा गया है।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सूचित किया कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 30.10.2019 से अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि पंजाबी प्रवासी अमृतसर आ सकें।

एयर इंडिया के प्रतिनिधि ने बताया कि अमृतसर हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से घरेलू उड़ानों तथा घरेलू यात्रियों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ट्रांजिट सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यात्रियों के स्थानांतरण में कठिनाई होती है।

राजस्थान सरकार

1. एटीएफ पर वैट में कमी:

नागर विमानन राज्य मंत्री (माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री) ने राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि, निदेशक (नागर विमानन) को सूचित किया कि यद्यपि राजस्थान सरकार ने दिनांक 18.04.2017 की अधिसूचना के माध्यम से आरसीएस संचालन हेतु एटीएफ पर वैट 1% कर दिया है, किन्तु वाणिज्यिक उड़ानों के लिए एटीएफ पर वैट में अभी तक कमी नहीं की गई है और यह अभी भी बहुत अधिक दर पर लिया जा रहा है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सलाह दी कि राजस्थान सरकार वाणिज्यिक उड़ानों के लिए एटीएफ पर वैट को 4% से कम करे, ताकि एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति स्थिर बनी रहे। इससे राजस्थान के विभिन्न हवाई अड्डों पर अतिरिक्त उड़ानों के संचालन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य सरकार को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे।

2. श्रीगंगानगर हवाई अड्डे से उड़ान संचालन प्रारम्भ करना:

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि निम्नलिखित मार्गों पर उड़ान संचालन—

- दिल्ली – श्रीगंगानगर – दिल्ली
- जयपुर – श्रीगंगानगर – जयपुर
- अमृतसर – श्रीगंगानगर – अमृतसर

को उड़ान (UDAN) 4.0 की बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.10.2018 को सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को पत्र भी भेजा जा चुका है।

निर्णय:

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि उपर्युक्त मार्गों पर वर्तमान में उड़ान संचालन व्यवहारिक नहीं है। अतः इन मार्गों को उड़ान 4.0 की बोली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

3. श्रीगंगानगर हवाईअड्डे का विकास:

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य सरकार श्रीगंगानगर हवाई पट्टी के विकास के लिए इच्छुक है तथा मौजूदा रनवे की लंबाई 1300 मीटर से बढ़ाकर 1850 मीटर करने और इसे नियमित उड़ान संचालन हेतु पूर्ण विकसित हवाई अड्डे में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

इस संबंध में एएआई से दो बार साइट सर्वे एवं ओएसएल सर्वेक्षण कराने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा चुका है। अतः शीघ्र कार्रवाई हेतु एएआई को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

निर्णय:

सदस्य (योजना), एएआई ने सूचित किया कि श्रीगंगानगर हवाई अड्डे के विकास हेतु ओएसएल सर्वेक्षण कराने का विषय विचाराधीन है। ओएसएल सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

4. कोटा में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का विकास:

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वर्तमान कोटा हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई केवल 4000 फीट है, जिससे आरसीएस योजना के अंतर्गत उड़ान संचालन सीमित हो जाता है।

इसलिए कोटा में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास का प्रस्ताव है, जिसके लिए राज्य सरकार ने आवश्यक भूमि पहले ही चिन्हित कर ली है।

राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों का मौसम संबंधी डेटा उपलब्ध कराया है तथा एएआई द्वारा पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण (Pre-feasibility Survey) पूरा कर रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है। हालांकि, एएआई से साइट सर्वे और ओएलएस सर्वेक्षण करने का अनुरोध दो बार किया जा चुका है।

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास हेतु लगभग 1800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा कर एएआई को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

निर्णय:

सदस्य (योजना), एएआई ने सूचित किया कि राजस्थान सरकार का पत्र प्राप्त हो चुका है और कोटा हवाई अड्डे के विकास हेतु ओएलएस सर्वेक्षण कराने का विषय विचाराधीन है। एएआई एक सप्ताह के भीतर उपयुक्त कार्रवाई करेगी तथा इसकी सूचना राजस्थान सरकार को भेजी जाएगी।

5. उत्तरलाई हवाईअड्डे का उन्नयन:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि उत्तरलाई हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु राज्य सरकार को 3 एकड़ भूमि एएआई को हस्तांतरित करनी है।

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि आवश्यक 3 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पहले ही राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है और इस संबंध में आवश्यक सूचना एक सप्ताह के भीतर नागर विमानन मंत्रालय एवं एएआई को भेज दी जाएगी।

उत्तराखंड सरकार

1. एटीएफ पर वैट में कमी:

नागर विमानन राज्य मंत्री (माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री) ने उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि यद्यपि राज्य सरकार ने आरसीएस संचालन के लिए एटीएफ पर वैट 1% कर दिया है, किन्तु वाणिज्यिक उड़ानों के लिए एटीएफ पर वैट में अभी तक कमी नहीं की गई है और यह अभी भी बहुत अधिक दर पर लगाया जा रहा है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सलाह दी कि उत्तराखंड सरकार वाणिज्यिक उड़ानों के लिए एटीएफ पर वैट को 4% से कम करे, ताकि एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति स्थिर बनी रहे। इससे उत्तराखंड के विभिन्न हवाई अड्डों से अतिरिक्त उड़ानों के संचालन में भी सहायता मिलेगी और राज्य सरकार को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

2. अल्मोड़ा, धारचूला, हल्द्वानी, हरिद्वार, जोशीमठ, मसूरी, नैनीताल, नई टिहरी, पिथौरागढ़, रामनगर, सहस्त्रधारा एवं श्रीनगर के हेलीपोर्टों का उन्नयन:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक अल्मोड़ा, धारचूला, हल्द्वानी, हरिद्वार, जोशीमठ, मसूरी, नैनीताल, नई टिहरी, पिथौरागढ़, रामनगर, सहस्त्रधारा तथा श्रीनगर के हेलीपोर्टों का हेलीकॉप्टर संचालन हेतु उन्नयन नहीं किया गया है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने राज्य सरकार को इस संबंध में शीघ्र उपयुक्त कार्रवाई करने की सलाह दी।

निर्णय:

उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य में 8 स्थानों पर हेलीपोर्टों का विकास कार्य प्रगति पर है और मार्च 2020 तक हेलीकॉप्टर संचालन हेतु पूर्ण होने की संभावना है।

3. आरसीएस-उड़ान उड़ानों के लिए एनएसओपी के अंतर्गत हेलीपैड संचालन:

उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य के हेलीपैड मूल रूप से आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए विकसित किए गए थे, इसलिए वे अनुसूचित ऑपरेटर परमिट (एससीओ) या अनुसूचित कम्प्यूटर संचालन (एससीओ) की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।

राज्य सरकार ने आरसीएस-उड़ान संचालन हेतु एनएसओपी के अंतर्गत हेलीकॉप्टर उड़ानों की अनुमति देने का अनुरोध किया।

निर्णय:

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया कि आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत एनएसओपी पर हेलीकॉप्टर संचालन का विषय नागर विमानन मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन है और इस संबंध में शीघ्र ही राज्य सरकारों को आवश्यक अनुमति जारी की जाएगी।

4. केंद्र सरकार द्वारा अग्निशमन एवं सुरक्षा उपकरणों की खरीद:

उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि सीमित संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण राज्य सरकार ने हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और वाटर एयरोड्रोम के लिए अग्निशमन एवं सुरक्षा उपकरणों की खरीद हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है।

निर्णय:

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया कि उत्तराखंड के हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और वाटर एयरोड्रोम के लिए अग्निशमन एवं सुरक्षा उपकरणों की खरीद का विषय सक्रिय विचाराधीन है और उचित निर्देश समयानुसार जारी किए जाएंगे।

5. आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का संचालन:

उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि निम्नलिखित सेक्टरों पर उड़ानें पहले ही प्रारम्भ हो चुकी हैं—

- देहरादून – पिथौरागढ़
- पिथौरागढ़ – पंतनगर
- पंतनगर – हिंडन

किन्तु इन उड़ानों में समय-समय पर व्यवधान आ रहा है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि इन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जाए। चूँकि यात्रियों की संख्या उत्साहजनक है, इसलिए इन मार्गों पर अधिक सीट क्षमता वाले विमान तैनात करने का भी अनुरोध किया गया।

निर्णय:

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया कि राज्य को पर्याप्त हवाई संपर्क उपलब्ध कराने के लिए विषय विचाराधीन है।

6. देहरादून हवाईअड्डे का विस्तार:

उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य सरकार ने सिद्धांततः जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, देहरादून को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने का निर्णय लिया है।

इसके लिए हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण को भी सिद्धांततः स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विकास की योजना और क्रियान्वयन हेतु वित्तीय एवं तकनीकी विशेषज्ञ नामित किए जाएँ ताकि इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

निर्णय:

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सूचित किया कि एएआई, नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श से, इस विषय की जांच करेगा तथा राज्य सरकार के अनुरोधानुसार जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विकास हेतु तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करेगा।

7. देहरादून – इलाहाबाद – देहरादून, पंतनगर – चंडीगढ़ – पंतनगर तथा पंतनगर – कानपुर – पंतनगर मार्गों पर उड़ान संचालन:

उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि इन मार्गों पर, जो पहले आवंटित किए गए थे, अब तक उड़ान संचालन प्रारम्भ नहीं हुआ है।

निर्णय:

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया कि चयनित एयरलाइन ऑपरेटर्स (एसएओ) से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन मार्गों पर उड़ान संचालन **शीतकालीन अनुसूची 2019-20** के दौरान प्रारम्भ होने की संभावना है।

8. पिथौरागढ़ हवाईअड्डे का हस्तांतरण:

उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को केंद्र सरकार के नियंत्रण में एएआई को हस्तांतरित किया जाए।

निर्णय:

सदस्य (योजना), एएआई ने सूचित किया कि यह विषय विचाराधीन है और शीघ्र ही राज्य सरकार को उपयुक्त निर्णय से अवगत कराया जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंस का समापन अध्यक्ष एवं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

अनुलग्नक - 1

दिनांक 24.10.2019 को प्रातः 10:30 बजे माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नागर विमानन द्वारा उत्तर एवं पश्चिमी राज्य सरकारों के साथ नागर विमानन से संबंधित मुद्दों पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र. सं.	नाम	पदनाम	संगठन
1	श्री हरदीप सिंह पुरी	नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	नागर विमानन मंत्रालय
2	श्री पी. एस. खरौला	सचिव	नागर विमानन मंत्रालय
3	सुश्री वंदना अग्रवाल	आर्थिक सलाहकार	नागर विमानन मंत्रालय
4	श्रीमती उषा पाधी	संयुक्त सचिव	नागर विमानन मंत्रालय
5	श्रीमती रूबिना अली	संयुक्त सचिव	नागर विमानन मंत्रालय
6	श्री अंगशुमाली रस्तोगी	संयुक्त सचिव	नागर विमानन मंत्रालय
7	श्री एम्बर दुबे	संयुक्त सचिव	नागर विमानन मंत्रालय
8	श्री अजय यादव	निदेशक एवं निजी सचिव, मा.ना.वि.रा.मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	नागर विमानन मंत्रालय
9	श्रीमती के. एल. शर्मा	निदेशक	नागर विमानन मंत्रालय
10	श्री यू. के. भारद्वाज	अवर सचिव	नागर विमानन मंत्रालय
11	श्री दीपक सजवान	अवर सचिव	नागर विमानन मंत्रालय
12	श्री एस. एन. द्विवेदी	सलाहकार, आरसीएस सेल	नागर विमानन मंत्रालय
13	श्री डी. सी. शर्मा	उप महानिदेशक	नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)
14	श्री अनुज अग्रवाल	अध्यक्ष एवं सदस्य (मानव संसाधन)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
15	श्री ए. के. पाठक	सदस्य (योजना)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
16	श्री वी. के. गुलाटी	सदस्य (एएनएस)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
17	श्री जी. डी. गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (योजना)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
18	श्री अनिल गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (भूमि प्रबंधन)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
19	कैप्टन राज के. मलिक	कार्यकारी निदेशक, आरसीएस	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
20	श्री प्रदीप कुमार	महाप्रबंधक (आरसीएस सेल)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	संगठन
21	श्रीमती संगीता महाय	महाप्रबंधक (वास्तुकला)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
22	श्री देबाशीष खान	महाप्रबंधक (वास्तुकला)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
23	श्री अमित कुमार झा	अनुभाग अधिकारी	नागर विमानन मंत्रालय
24	श्री अविनव तिवारी	सहायक अनुभाग अधिकारी	नागर विमानन मंत्रालय
25	श्री रामबाबू च.	महाप्रबंधक	एअर इंडिया
26	श्री संजय चुघ	प्रबंधक	एअर इंडिया